

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
 वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302005
 (दूरभाष नं: 0141-2740837, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल: jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक : एफ.4(ई)(एस-2075 / 2013) / अलेसे-गा / 1506

दिनांक : ०९-६-२५

कार्यालय आदेश

निम्नांकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-गा को उनके आवेदन के अनुसरण में निम्न परीक्षा में सम्मिलित होने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	लिंक नं.	नाम (श्री / श्रीमती / सुश्री)	नाम परीक्षा	आयोजक संस्था	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय
1	2	3	4	5	6
1	10825	सुनिता कुमारी सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-गा	एम.कॉम (व्यवसाय प्रबन्धन) प्रथम वर्ष सत्र-2024-25 (स्वयंपाठी)	पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय, सीकर	तहसील, फतेहपुर जिला सीकर

उक्त अध्ययन स्वीकृति राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के प्रावधानों एवं नियुक्ति आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त निम्न शर्तों के अध्यधीन होगी :-

- 1 किसी शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
- 2 विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने पर आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- 3 परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के अन्तर्गत परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 4 उक्त स्वीकृति दिये जाने से किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल सकेगा और उस दौरान अन्यत्र स्थानान्तरण किया जा सकता है।
- 5 उक्त स्वीकृति के कारण राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा / व्यवधान उत्पन्न होने पर यह स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
- 6 परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 7 प्रशासनिक कारणों से उक्त स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है।

(बृजेश किशोर शर्मा)
 निदेशक एवं पदेन
 संयुक्त शासन सचिव
 दिनांक : ०९-६-२५

क्रमांक : एफ.4(ई)(एस-2075 / 2013) / अलेसे-गा / 1506

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
2. तहसीलदार, फतेहपुर जिला सीकर।
3. सुनिता कुमारी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-गा, कार्यालय तहसील, फतेहपुर जिला सीकर।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


 संयुक्त निदेशक (कार्मिक-गा/गा)